वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा..आपूर्ति।

समाहरणालय
20 MAR 2007
मधेपुरा

26

बिहार सरकार

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक-प्र06 विविध-77/2001 /आ0वा0,पटना-15,दिनांक -

प्रेषक,

श्री सुरेश कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज

विषयः- जन वितरण प्रणाली की दूकान की अनुज्ञप्ति को बहाल करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपके फैक्स पत्रांक 86 दिनांक- 13.02.2001 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि वर्तमान में राज्य में " Public Distribution System (Control) Order 2001 " लागू है । इस नियंत्रण आदेश के कंडिका- 2.6 में वैसे व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्हें दूकान आवंटित नहीं किया जायेगा ।

कंडिका- 2.6 की उप-कंडिका-(ख) में अंकित है कि " मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, सांसद, नगर निगम एवं नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य के कार्यकाल तक " को दूकान आवंटित नहीं किया जाएगा । इसमें कही भी निर्वाचित सदस्य के संबधी/परिवार के सदस्यों का उल्लेख नहीं है ।

इसलिए मात्र निर्वाचित सदस्य का जन वितरण प्रणाली की दूकान की अनुज्ञप्ति इनके कार्य-काल की अवधि तक स्थगित रहेगा ।

उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(सुरेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 906 /आ0वा0,पटना-15,दिनांक - 9.3.2007

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9.3.007

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक..268/आपूर्ति, दिनांक..13/6/07.

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

C:\WINDOWS\Desktop\YEAR 2007\SECTION 6\Public Distribution System Order.doc

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

351
14/5/12

C-1003
20/3/07

151
16/5/07

08/6/07

8/6/07